



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7, 1981/माघ 18, 1902

No. 60] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7, 1981/MAGHA 18, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1981

का. आ. 91 (अ) :—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश देती है कि इससे उपाखण्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी किसम के पशु-चारों के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग), (घ), (च), (ज), (झ) और (ञ) के अधीन आदेश करने की शक्ति का प्रयोग गुजरात राज्य के कच्छ, वनसंकथा, साबरकंथा, मेहसाणा, पंचमहल, राजकोट, सुरेन्द्र-नगर, जामनगर, जूनागढ़ और बालसाद जिलों के कलेक्टरों द्वारा भी किया जाएगा।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और 31 अगस्त, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

अनुसूची

घास-चारे की किस्में

1. सूखी घास
2. घास
3. चारा
4. भान का पृथाल
5. भूसा
6. चूनी
7. कड़वी
8. करब और करबी ।

[फा. सं. 32-1/80-एल. डी. -2]

एन. राजगोपाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 7th February, 1981

S.O. 91(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the power to make orders under clauses (c), (d), (f), (h), (i) and (j) of sub-section (2) of section 3 of the said Act shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Collectors in the Districts of Kutch, Banaskantha, Sabar-kantha, Mehsana, Panchmahals, Rajkot, Surendranagar, Jamnagar, Junagadh and Valsad of the State of Gujarat

2. This order shall remain in force for the period commencing from the date of its publication in the Gazette of India and ending with the 31st August, 1981.

SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

- (i) Hay
- (ii) Grass
- (iii) Chara
- (iv) Paddy straw
- (v) Bhusa
- (vi) Chuni
- (vii) Kadabi
- (viii) Karab and Karabi

[No. 32-1/80-LD.II]

N. RAJAGOPAL, Jt. Secy.